

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 3-1/2022/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022

✓ प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विमानन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

विषय :- मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेसियल पावर्स, 1995 भाग-2 के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

संदर्भ :- विभाग का आदेश क्र.एफ 3-1/2022/नियम/चार दि. 26-5-2022

\*\*\*

म0प्र0बुक आफ फायनेसियल पावर्स 1995 भाग-2 के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन वित्त विभाग के संदर्भित आदेश क्रमांक एफ 3-1/2022/नियम/चार दिनांक 26-5-2022 जारी किया गया था, को एतद् द्वारा निरस्त करते हुए उनके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किये जाते हैं:-

S. No	Description	Authority Competent exercise the powers	Extent of delegation	Conditions
1	2	3	4	5
4	Payment of annual insurance premium for crew and passengers covering flight risks and Aircraft/Aircraft Machine Hull.	Commissioner, Aviation	Up to 50.00 Lakhs	-
		Administrative Department	Above 50.00 Lakhs	-

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(पी0 के0 श्रीवास्तव)

उप सचिव

म0प्र0शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा क्रमांक एफ 3-1/2022/नियम/चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 20-7-2022

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
2. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।

(विवेक कुमार धारू)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग